न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या–24/2021

1. श्री शांतिलाल पिता गोपीलाल जाति धाकड़ निवासी मोतीपुरा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ राज0

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित: 1. श्री अंकित पालीवाल अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 17.02.2022

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मोजा खेड़ी कुण्डाल पटवार हल्का जलोदा जागीर के साबिक आराजी संख्या 128 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित है उक्त आराजी पुर्व में तुलसीराम पिता वरदा धाकड़ के नाम दर्ज रेकार्ड थी भू प्रबंधक विभाग द्वारा उक्त आराजी के नवीन आराजी नंबर 198 रकबा 0.48 हैक्ट0 बनाये उक्त आराजीयात को तुलसीराम पिता वरदा धाकड़ ने प्रार्थी के पिता गोपीलाल पिता उंकार धाकड़ को जरिये रजिटर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा प्रार्थी के पिता के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर विपक्षी ने स्वीकृत भी कर दिया था लेकिन भू प्रबधक विभाग द्वारा दौरान पेमाईश उक्त वर्णित आराजीयात के नवीन नंबर 198 कायम किया लेकिन नामान्तरकरण के अनुसार पुनः प्रार्थी के पिता के नाम के बजाए विक्रेता के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि विक्रय के बाद प्रार्थी के पिता का एवं प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी का कब्जा होकर काश्त की जा रही है। सहवन से मात्र राजस्व रेकार्ड में विकेता तुलसीराम पिता वरदा धाकड के नाम दर्ज हो गई एवं उनके

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

स्वर्गवास के बाद उनके वारिसानों के नाम दर्ज करवा ली गई है जिसे सही कर पुन प्रार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

2. पत्रावली का अवलोकन कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार छोटीसादड़ी को जरिये सम्मन सुचित किया गया अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर रिकार्ड अनुसार शुद्धि करने तथा वर्तमान खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का कथन किया। मौके की वस्तुस्थिति जाने के लिए तहसीलदार छोटीसादड़ी से मौका रिपोर्ट तलब कि गई जिसमें विवादग्रस्त आराजीयात पर पिछले 40 वर्षो से प्रार्थी के पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी का कब्जा बताया गया। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत किया जिसमें वादी ने अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का सही होना स्वीकार किया तथा न्यायालय में अपने बयान कलमबद्ध करा कर दस्तावेज प्रदर्श करायें तथा पत्रावली को बहस हेतु नियत किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी दौरान बहस विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी ने विपक्षी के कथन वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाये गये का खण्डन करते हुए कथन किया की जो भू प्रबंध विभाग ने अपनी कार्यवाही में सेटलमेंन्ट से पूर्व के इन्द्राज को दोराया नहीं। वे इन्द्राज जेसे भी है, उन्हे विलोपित करने या संशोधित करने का अधिकार भू प्रबंधक विभाग को नहीं है। भू प्रबंध विभाग वहीं इन्द्राज बदल सकता है जिसमें सक्षम न्यायालय ने नये इन्द्राज करने का आदेश दिया हो। तथा अपने कथन के समर्थन में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज 16/92/26 दिनांक 20–12–1995, जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 से जुड़ा है, व समस्त संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर्स को संबोधित है, उक्त परिपत्र को पेश किया जिसके पेरा संख्या 2 पर उल्लेखित है कि भू प्रबंध के दौरान जो लिपिकीय एवं अन्य गलतियां भू प्रबंध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई है, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भू अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करे। उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि:– भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का राजस्व रेकार्ड में अंकन है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हो। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू प्रबंध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं होगा। अपने कथन के समर्थन में 1996 आर. बी.जे. पृष्ठ 8, 2003 आर.बी.जे. पृष्ठ 118, 2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332, 2009 आर. आर.टी. पृष्ठ 954 व 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 504 (उच्च न्यायालय) के न्यायिक दृष्टांतों को संदर्भित करते हुए प्रतियां प्रस्तुत की।

4. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत नजीरों एवं कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया। यह निर्विवादित तथ्य है कि मोजा खेड़ी कुण्डाल पटवार हल्का जलोदा जागीर के साबिक आराजी संख्या 128 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा स्थित है उक्त आराजी पुर्व में तुलसीराम पिता वरदा धाकड़ के नाम दर्ज रेकार्ड थी तुलसीराम पिता वरदा धाकड़ ने प्रार्थी के पिता गोपीलाल पिता उंकार धाकड़ को जरिये रजिटर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03/05/1980 से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था जिसका गत नामान्तरकरण संख्या 126/1 को स्वीकृत भी हो गया था व उक्त नामान्तरण का अमल जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में अमल होकर प्रार्थी के पिता गोपीलाल के नाम दर्ज हो गयी थी जिसके ताईद में जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 की नकल पेश की गई जो प्रदर्श 4 है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1 अनुसार साबिक आराजी संख्या 128 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के नये नंबर 198 रकबा 0.48 हैक्ट0 बने है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता एवं प्रार्थी का 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है उक्त दस्तावेजों एवं तथ्यों से यह साबित होता है कि उक्त विवाद आराजीयात को भू प्रबंध विभाग द्वारा सहवन से पुन विक्रेता के नाम दर्ज कर दी गई है। अपीलार्थीगण के विद्धान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि भू प्रबंध विभाग को नये इन्द्राज करने, पुराने इन्द्राज को विलोपित करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, जिसके कि अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है, भू प्रबंध कार्यवाही पूर्ण हो जाने एवं रिकार्ड प्राप्त हो जाने के बाद धारा 136 में कार्यवाही करने को सक्षम है, ऐसे संशोधन के आदेश पारित कर सकता है एवं इसके समर्थन में 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8, 2003 आर.बी.जे. पृष्ठ 118, 2002 आर. बी.जे. पृष्ठ 332, 2009 आर.आर.टी. पृष्ठ 954 व 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 504 के

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

न्यायिक दृष्टांत पेश किये। इन दृष्टांतों को भी उद्धरत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है :–

(ए) 1996 आर.बी.जे.. पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136-
Wrong entry made during settlement opreation can be corrected by Land Record Officer.

(बी) 2003 आर.बी.जे. पृष्ठ 118 : रूपनारायण बनाम कजोड़मल

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136-
Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries - In this case during the setlement opreations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khtedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

(सी) 2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332 : गिरीराज बनाम भगवत
SETTLEMENT ENTRIES - Settlement Authorities requried to repeat existing entries. The Settlement Authorities are requried to repeat entries in existing Jamabandies and could not alter entries without order of competent court. In this case ancestral land was entered in the name of three brothers by the Settlement Officer at the time of settlement. The first appellate court was not justified in setting aside the justified in the setting aside the entries made by Settlement Officer without any basis. Revision accepted.

(डी) 2009 (2) आर.बी.जे. पृष्ठ 954 : मुस्ताक अहमद एवं अन्य बनाम पीरू व अन्य
RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136
Application for correction of entries-Notice issued to- respondent 'P' but did not appear & as per jamabandi of Svt. 2034-37, Collector ordered to enter the land as Siwai Chak in Khata No. 1.L.R.O. is empowered to correct the entries- Settlement authorities have no power to change the original entries-Concurrent findings are just & legal- Held, orders upheld.

उपखण्ड अधिकारी

(इ) 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 504 : पूसाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य

(A) Raj. Land Revenue Act, Sections 125 & 136 - Land Records Officer is competent under sections 136 and 125 of the Act after the settlement operations are over, to correct the error crept in record of rights during settlement operations.

(B) Interpretation of Statutes - When the Legislature makes certain provisions in a Act, the presumption is that it is for some purpose and every part of the statute has its effect because the Legislature never waste its words or say anything in vain-A construction which attributes redundancy to the legislature can not be accepted except for compelling reasons.

5. हस्तगत प्रकरण में भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व प्रार्थी के पिता के नाम उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई थी जिसे बिना सक्षम आदेश के भू प्रबंध विभाग ने विलोपित कर दिया। तहसीलदार छोटीसादड़ी की रिपोर्ट अनुसार भी विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर उक्त त्रुटि को सही किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मोजा खेड़ी कुण्डाल पटवार हल्का जलोदा जागीर विवादग्रस्त आराजी नंबर 198 रकबा 0.48 हैक्ट0 को वादी के नाम दर्ज किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ(राज)